<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/5344/2003/उदयपुर

1. लक्ष्मण पुत्र चमना
2. शंकर पुत्र मना

समस्त जाति ब्रहम्ण निवासी उथरदा तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर।

अपीलांट्स....

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र मन्ना
2. चम्पा पुत्र नवला
3. गंगाराम पुत्र शंभू
4. खेमराज पुत्र मन्ना

समस्त जाति ब्रहम्ण निवासी उथरदा तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सलूम्बर जिला उदयपुर।

रेस्पो0 ....

<u>खण्डपीठ</u>
डॉ आर.वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पो0

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 19.8.2020

1. यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर दिनांक 18.8.2003 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी मोहनलाल ने एक वाद परीक्षण न्यायालय में बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा उधरदा तहसील सलुम्बर में भूमि खसरा नंब0 278

रकबा 13 बिस्वा स्थित है जो वादी व वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 6 खेमराज केनाम 1/2 हिस्से में तथा प्रतिवादी संख्या 5 गंगाराम के हिस्में राजस्व रिकार्ड मं अंकित है और इन पक्षकारों में आपस में वर्ष 1975 में बंटवारा हो गया और वह अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। शेष प्रतिवादी 1 ता 4 का इस भूमि से कोई संबध में नही है न ही उनका कब्जा है, लेकिन भूमि का आज बंटवारा विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। अतः विधिवत बंटवारा कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने उक्त आशय का वाद दर्ज करते हुये प्रतिवादीगण को उनका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जिस पर प्रतिवादीगण ने अपना पक्ष परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया साथ ही इस आशय का प्रतिवादी भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 1 ता 6 तथा वादी एक ही खानदान के है। उक्त विवादित भूमि कृषि भूमि तथा हिन्दु संयक्त अविभक्त परिवार की भूमि है। चूंकि यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त परिवार की भूमि थी और उनके वर्णित हिस्से अनुसार ही उनके स्वामित्व व कब्जे की भूमि है। अतः उन्होनें उपर्युक्त अनुसार विवादित भूमि की खातेदारी घोषित करने का निवेदन किया। इस पर परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिस पर उन्होने प्रतिवादी के तथ्यों को असवीकार किया तथा सजरा खानदान को भी अस्वीकार किया। इस पर परीक्षण न्यायालय ने 4 तनकी बनाकर वादी का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.1999 से स्वीकार कर लिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08.06.99 से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2003 द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.06.99 यथावत रख दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2003 से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट ने अपना जबाव दावा व जबाव दावे के साथ क्रोस क्लेम पेश किया कि लक्ष्मण,शंकर का 1/4 हिस्सा,

मोहन व खेमराज दोनों का मिलाकर 1/4 हिस्सा, गंगाराम पिता शंभू का 1/4 हिस्सा व मोतीलाल पिता चतुरभुज का 1/4 हिस्सा है । इस प्रकार मौके पर भी उसी अनुसार अलग अलग हिस्से होकर अलग अलग काबिज चले आ रहे है। यह कब्जा संवत 1997 से जबसे पहला सेटलमेंट हुआ उसके पहले से चला आ रहा है। यहां तक अपीलांट के पिताजी का नाम संवत 1987 की मेवाड सेटलमेंट में अंकित था तथा बाद में उनका नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया था जबकि कब्जा अपीलांट का शांतिपूर्वक चला आ रहा है । खसरा जो तैयार हुआ था उसमें चमना का नाम दर्ज है तथा वर्तमान में चमना का नाम दर्ज होने से रह गया इस कारण अपीलांट के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है। जब बाडे का कोई लगान ही नहीं है तथा लगान न तो अदा किया न ही काबिल अदायगी है तो उसका कानूनी खातेदार नहीं माना जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आबादी में बना हुआ मकान जिसमें खेती का सामान रखा जाता है तो काश्त की भूमि नहीं मानी जा सकती है उसके सबंध में कानून बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए बाडे के सबंध में बंटवार का दवा उपखण्ड न्यायालय में पोषणीय नहीं होता है न ही धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषधाज्ञा का वाद ही जाया जा सकता है क्योंकि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के लिए टेनेन्ट होना आवश्यक है एवं टेनेन्ट वो होता है जो लगान दे रहा हो और लगान अदा करने का जिम्मेदार हो परन्तु जब कोई लगान ही नहीं है तो ऐसे दावे को सुनने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही हो सकता है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट का नाम हाल खाते में दर्ज होने से रह गया था परन्तु उसके हक स अधिकार एवं कब्जा 50 वर्षो से अधिक समय से है। नाम रिकार्ड में नहीं होने से अपीलांट के हक व अधिकार पर कोई असर नहीं होता है। रेस्पो0 मोहनलाल ने जानबुझकर मोतीलाल पिता चुतरभुज को पक्षकार नहीं बनाया एवं नवला को मरे हुये 3-4 साल हो गयी परन्तु उसकी लडकी पूंजी को वारिसान के रूप में पक्षकार नहीं बनया गया । इस कारण भी दावा अबेट हो जाता है। मोतीलाल जो खातेदार काश्तकार है उसका पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार दावा पोषणीय नहीं था । विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष भी उन्होने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के तहत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया

किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उन पर विचार किये बिना ही उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्व मंडल में निगरानी भी प्रस्तुत की गयी परन्तु निगरानी देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज कर दी गयी। इस कारण अपीलांट को यह सभी बिन्दु अपील के माध्यम से प्रस्तुत करने पड रहे है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट के पिता का नाम मेवाड सेट्लमेंट में दर्ज तथा खसरे में भी दर्ज था परन्तु हाल सेट्लमेंट में दर्ज हाने से रह गया । इस कारण उक्त दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे रिकार्ड पर लाया जाना अत्यधिक आवश्यक है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय डिक्री क्रमशः दिनांक 08.06.1999 व 18.08.03 को विधि विरूद्व बताते हुये निरस्त करने तथा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1994 ए0आइ0आर0 एस0सी0 पेज 227, 1997 आर0एल0डब्ल्यू(1) राज0 पेज 226, 1992 आर0आर0डी0 पेज 17, 239, 337, 1986 आर0आर0डी0 पेज 548, 738, 2000 ए0आइ0आर पेज 127 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने गलत व निराधार तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है। परीक्षण न्यायालय ने स्वयं अपीलांट ने अपनी पैरवी करना बंद कर दिया इसलिए विधिवत रूप से परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। दिनांक 08.6.99 को अपीलांट के अभिभाषक ने परीक्षण न्यायालय में उपस्थित न होने का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये महत्वपूर्ण दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 18.06.02 को अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलांट ने मंडल में निगरानी प्रस्तुत की जिसे भी मंडल ने अपने निर्णय दिनांक 26.8.02 से अपीलांट की निगरानी खारिज कर दी। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को अब साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि क्षेत्राधिकार के संदर्भ में भी अपीलांट ने अपने जबावदावे में कोई आपत्ति नहीं की है बल्कि सही क्षेत्राधिकार मानते हुये अपना प्रतिवाद भी प्रस्तुत किया है। जब स्वंय एक और अपीलांट परीक्षण

न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करता है तो यह कैसे कह सकता है कि राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य निराधार है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निराधार बताते हुये खारिज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 08.06.1999 व 18.08.03 को बहाल रखने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को गहनता से अध्ययन किया गया।

7. पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 278 रकबा 13 बिस्वा की राजस्व रिकार्ड में किस्म बाड़ा है। यह भूमि खातेदारी की भूमि नहीं है और इसका कोई लगान भी राजस्व रिकार्ड में निर्धारित नहीं किया गया है । इस भूमि का किसी भी पक्षकार द्वारा कभी लगान का भुगतान किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। सबंधित खसरा गिरदावरी में भी किसी पक्षकार की काश्त होना और कृषि उपज की पैदावार लेना भी प्रमाणित नहीं होती है। इस स्थिति में सबंधित परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बिन्दु का सर्वप्रथम परीक्षण कर उसके पश्चात ही विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रकरण में प्रस्तुत की गयी अपील और सबंधित अन्य दस्तावेजों से प्रथमदृष्टया यह दृष्टिगोचर होता है कि मौके पर पृथक–पृथक पक्षकारों के पृथक–पृथक मकान बने हुये है।

8. अपीलांट पक्ष द्वारा प्रकरण में विवादित भूमि पर कब्जे व उनके हक के सबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस स्थिति में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का दावा लाये बिना धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वाद संधारण योग्य नहीं रहता है। अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में अंकित किया गया है कि विवादित भूमियों में उनका हिस्सा व कब्जा संवत 1997 से जब से पहला सेटलमेंट हुआ उसके पहले से चला आ रहा है। उनके पिता नाम 1987 के मेवाड

सेटलमेंट में भी अंकित था जो बाद के रिकार्ड में सहवन से अंकित होने से रह गया। इसके सबंध में रेस्पो0 द्वारा कोई स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अपीलांट द्वारा अपनी अपील मीमों के पृष्ठ 3 पर अंकित किया गया है कि विवादित भूमियों के सबंध में मोतीलाल पिता चतरभुज भी अनिवार्य पक्षकार था उसे पक्षकार नहीं बनाया गया । एक पक्षकार नवला की दावा प्रस्तुत करने के 3–4 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो जाने पर भी उसकी विधिक वारिस पुत्री पुंजी को वारिसान के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया। यह एक गंभीर विधिक त्रुटि होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं होकर पूर्णतया अबेट होने योग्य था। एक पक्षकार मोतीलाल जो मालिक व काबिज, खातेदार काश्तकार होते हुये भी उसे पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 211 के अनुसार उनका यह दावा पोषणीय नहीं रहता है। अपीलांट पक्ष को परीक्षण न्यायालय ने उनके अभिभाषक की मृत्यु होने और उसकी समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वे समुचित पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके थे जिसके कारण उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हो सका।

10. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व विधिक स्थिति के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 08.06.1999 व 18.08.03 अपास्त किये जाते है। प्रकरण मूल ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को पूर्ण साक्ष्य व सनुवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिनुसार प्रकरण का पुनः निस्तारण करे।

11. निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(डॉ आर.वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष